POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 13.11.2024

थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदलकर रूपये निकालने वाले गैंग के दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 39 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, धोखाधडी कर निकाले गये 53,000 रूपये नगद, अवैध हथियार व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 19.09.2024 को शाम के समय वादी मुकदमा निवासी ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128, नोएडा जो ग्राम सुल्तानपुर स्थित एटीएम से पैसे निकालने गये थे। इसी दौरान अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा रूपये निकालने में उनकी मदद करने के नाम पर धोखाधडी कर उनका एटीएम कार्ड बदलकर दूसरा एटीएम कार्ड दे दिया गया तथा उनके एटीएम कार्ड से अलग-अलग ट्रांजेक्शन कर कुल 1,41,000 रूपये निकाल लिये गये। उक्त सूचना के आधार पर थाना सेक्टर-126 नोएडा पर मु0अ0सं0 233/24 धारा 318(4) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 13.11.2024 को **थाना सेक्टर-126** पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त 1.अंकुर ठाकुर पुत्र मेघ सिंह 2.देवेन्द्र नागर पुत्र उदयवीर नागर को चेकिंग के दौरान पुश्ता रोड असगरपुर टी प्वाईंट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 39 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, मु0अ0सं0 233/24 धारा 318(4) बी.एन.एस के वादी मुकदमा की निकाली गयी रकम में से शेष बचे 53,000 नकद, 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेन्डर (रजि0 नं0 डीएल 8 एस.सी.डब्लू 6133) बरामद हुई है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दोनों व हमारा एक साथी सोनू पुत्र नामालूम है, हम तीनों मिलकर एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के रूपये निकाल लेते है। हम लोग अक्सर ऐसे एटीएम के आस-पास रहते है जहाँ पर रूपये निकालने के लिये अनपढ़ या कम पढे लिखे लोग अधिक संख्या में आते है। जो भी इस प्रकार का व्यक्ति एटीएम में रूपये निकालने के लिये अंदर घुसता है हम में से एक साथी एटीएम के अंदर जाकर उस व्यक्ति के पीछे खडे होकर उसके द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे एटीएम कार्ड के पासवर्ड को देख लेते है। जब वह व्यक्ति किसी भी कारण से अपने रूपये निकालने में असमर्थ होता है तो हम उसे मदद की पेशकश करके स्वयं उसके रूपये निकालने का झूठा प्रयास करते है, कभी उसके एटीएम कार्ड को मशीन में उल्टा लगाकर या

आधा लगाकर एक दो बार प्रयास कर, निगाह बचाकर हमारे पास पहले से काफी संख्या में मौजूद एटीएम कार्डों में से उसी बैंक व उसी प्रकार के एटीएम कार्ड को उस व्यक्ति को देकर उसे बता देते है कि तुम्हारा कार्ड काम नहीं कर रहा है और उसके कार्ड को बदलकर अपने पास रख लेते है। जैसे ही वह व्यक्ति चला जाता है तो उसी एटीएम मशीन या आस-पास की अन्य एटीएम मशीन से अधिक से अधिक संख्या में उसके रूपये निकाल लेते है। जब उस व्यक्ति को पता चलता है तो वह अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करा देता है। उसके एटीएम कार्ड को पुनः इसी प्रकार के अपराध में इस्तेमाल करते है। अधिक संख्या में रूपया निकालने के लिये हमारे पास पीओएस मशीन भी है जो हमारे साथी सोनू के पास है। अपराध के समय डराने या फायर करने के लिये अवैध तमंचे रखते है। दिनांक 19.09.2024 की शाम को वादी मुकदमा से एटीएम कार्ड बदलकर उसके एटीएम कार्ड से अलग-2 ट्राजेक्शनों में 1,41,000 हजार रूपये निकालकर तीनों साथियों में 47-47 हजार रूपये बाटें गये थे, बरामद नकदी को उसी घटना के बचे रूपयें होना बताया गया है।

अपराध का तरीका-- अपराधियों का तीन लोगों का सक्रिय गैंग है जो इस प्रकार की बस्ती में लगे हुये एटीएम को निशाना बनाते है जहाँ पर अधिक संख्या में अनपढ या कम पढे लिखे व्यक्ति आते है। जैसे ही कोई इस प्रकार का व्यक्ति एटीएम में रूपये निकालने के लिये अंदर घुसता है तो तीनों में से एक साथी उसके पीछे खडा हो जाता है जबकि दो साथी निगरानी के लिये एटीएम के बाहर बने रहते है। जैसे ही रूपये निकालने वाला व्यक्ति अपने एटीएम के पासवर्ड को डालता है तो पीछे से अपराधी उसका पासवर्ड जान लेते है। जब कोई व्यक्ति एटीएम से रूपया निकालने में समर्थ नहीं होता या अन्य कोई तकनीकी दिक्कत रहती है तो ये अपराधी उसकी मदद करने के नाम पर उसके एटीएम को अपने हाथ में लेकर चालाकी से धोखाधडी कर एटीएम कार्ड को बदलकर उसी बैंक का दूसरा एटीएम उसे दे देंते है और उसे एटीएम कार्ड या मशीन में खराबी होना बताकर स्वयं उसके एटीएम से भारी संख्या में रूपये निकालकर आपस में बांट लेते है। अधिक संख्या में रूपये निकलाने के लिये पीओएस मशीन का इस्तेमाल करते है। अपराध के समय जनता व पुलिस से घिरने की स्थिति में अपने पास अवैध तमंचे भी रखते है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अंकुर ठाकुर पुत्र मेघ सिंह निवासी ग्राम गुज्जा बसौनी, थाना बसौनी, जनपद आगरा उम्र 32 वर्ष।
2. देवेन्द्र नागर पुत्र उदयवीर नागर निवासी ग्राम चचूला, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर उम्र 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

अभियुक्त अंकुर ठाकुर के कब्जे से-

1. विभिन्न बैंको के 16 एटीएम कार्ड
2. वादी मुकदमा की धोखाधडी कर चोरी की गई रकम में से 27,500 रूपये नगद

3. 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
4. घटना में प्रयुक्त हीरो स्पेलेन्डर मोटरसाइकिल (डीएल 8 एस.सी.डब्लू 6133)

अभियुक्त देवेन्द्र नागर के कब्जे से--

1- विभिन्न बैंको के 23 एटीएम कार्ड
2- वादी मुकदमा की धोखाधडी कर चोरी की गई रकम में से 25,500 रूपये नगद
3- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त देवेन्द्र नागर--**

1.मु0अ0सं0-76/15 धारा 379/411/482 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0-361/15,धारा-392 भादवि थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0-333/16,धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0-180/17,धारा-392 भादवि थाना-कासना, गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0-235/17,धारा-394 भादवि थाना-कासना, गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0-348/17,धारा-392,411 भादवि थाना-कासना, गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0-509/17,धारा-25 आर्म्स एक्ट, थाना-कासना, गौतमबुद्धनगर।

8.मु0अ0सं0-24/18 धारा 392/411 भादवि थाना ईकोटेक-1, गौतमबुद्धनगर।

9.मु0अ0सं0-115/18,धारा-392,411 भादवि थाना-नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

10.मु0अ0सं0-460/18,धारा-25 आर्म्स एक्ट थाना-नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

11.मु0अ0सं0-760/18,धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना-दनकौर गौतमबुद्धनगर।

12.मु0अ0सं0-932/18 धारा 392/411 भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

13.मु0अ0सं0-1868/19,धारा-392,411,504 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

14.मु0अ0सं0-441/21,धारा-323,324,506 भादवि थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

15.मु0अ0सं0-90/22,धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

16.मु0अ0सं0-373/22,धारा-379,411,420 भादवि थाना सिकंद्राबाद (बुलंदशहर)।

17.मु0अ0सं0-481/22,धारा-379,411,420 भादवि थाना सिकंद्राबाद (बुलंदशहर)।

18.मु0अ0सं0-542/22,धारा-379,411,420 भादवि थाना सिकंद्राबाद (बुलंदशहर)।

19.मु0अ0सं0-217/23,धारा-120ठ,379,411,420 भादवि थाना-नॉलेज पार्क।

20.मु0अ0सं0-700/23 धारा 379/420/411 भादवि थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।

21.मु0अ0सं0-226/23 धारा 420/379/411 भादवि थाना शालीमार गार्डन, गाजियाबाद।

22.मु0अ0सं0-58/24 धारा 420/411/482 भादवि थाना शालीमार गार्डन, गाजियाबाद।

23.मु0अ0सं0-77/24 धारा 420/411 भादवि थाना विजय नगर, गाजियाबाद।

24.मु0अ0सं0-342/24,धारा-392,411, भादवि थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

25.मु0अ0सं0-493/19 धारा 399/400/402 भादवि व 25/27 आयुध अधिनियम, 11/13 एमपीडीपी ए एक्ट कोतवाली शहर जिला मुरैना, मध्यप्रदेश।

26.मु0अ0सं0-233/24 धारा 318(4)/ 317(2)/303(2) बी.एन.एस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त अंकुर ठाकुर--**

1. मु0अ0सं0-633/21 धारा 420/414/482 भादवि थाना विजयनगर, गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0-720/21 धारा 420/414/482 भादवि थाना विजयनगर, गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0-836/21 धारा 420 भादवि थाना विजयनगर, गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0-615/21 धारा 379/411 भादवि थाना विजयनगर, गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0-150/22 धारा 420/34 भादवि थाना शाहीन बाग, दिल्ली।
6. मु0अ0सं0-233/24 धारा 318(4)/317(2)/303(2) बी.एन.एस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।